## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी

**(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या :– 14/2024(पुरानी–123/2022)
प्रविष्टि दिनांकः– 20.03.2024(पुरानी–07.12.2022)
निर्णय दिनांक :– 06.08.2024

::–उनवान–::

1. डॉ0 मदन लाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक हाल कार्यालय मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री अंकित कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अंकित किराणा स्टोर, सब्जी मण्डी मार्केट टोडारायसिंह निवासी मित्तल भवन, धाकड़ कॉलोनी वार्ड नं0 1 टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
2. श्री मनोज अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल अग्रवाल प्रोपराईटर मैसर्स जगदीश नारायण रतन लाल सिंहल एण्ड सन्स, ए–16 सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर 302001 निवासी 6/99 विद्याधर नगर जयपुर जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52**

उपस्थिति :
(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।
(2) अप्रार्थीगण श्री अंकित कुमार जैन व मनोज अग्रवाल उप0।

::–निर्णय–:: **दिनांकः 06.08.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.06.2022 को समय 12:38 पीएम पर मैसर्स मैसर्स अंकित किराणा स्टोर, सब्जी मण्डी मार्केट टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर पहुंचा। वहां श्री अंकित कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन नि0 मित्तल भवन, धाकड़ कॉलोनी वार्ड नं0 1 टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, मसाले, मैदा, नमकीन–बिस्कट व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया तथा तथा मौक पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री पत्र दिखाया।

2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसाले, नमकीन के साथ प्लास्टिक कट्टे में 800–800 ग्राम के 21 पॉली पैक **पोहा मधुबाला ब्राण्ड (Rice Flake Madhu Bala Brand)** का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री अंकित कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन को गवाह

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

के सामने फार्म नं 05 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में प्लास्टिक कट्टे में 800–800 ग्राम के 21 पॉली पैक **पोहा मधुबाला ब्राण्ड (Rice Flake Madhu Bala Brand)** के बैच नम्बर बीपी 990 एवं पैकिंग की दिनांक जून 2022 अंकित थी को ज्यो का त्यो पैक्ड 800–800 ग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 3200 ग्राम वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता अंकित कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन को रू 128/– अक्षरे एक सौ अठ्ठाईस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता श्री अंकित कुमार जैन के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पोहा मधुबाला ब्राण्ड (Rice Flake Madhu Bala Brand)** की खरीदसुदा 800–800 ग्राम के 4 नग पॉली पैक ज्यो का त्यो नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर **डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3207** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक अंकित कुमार जैन तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3207 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने कारोबारकर्ता को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/1980 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./2258/एक्ट/2022/1980 दिनांक 29.07.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **पोहा मधुबाला ब्राण्ड (Rice Flake Madhu Bala Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

7. हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पोहा मधुबाला ब्राण्ड (Rice Flake Madhu Bala Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा. **(ii)** के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

**–:आदेश:–**

**प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं दण्डनीय धारा 52 स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी सं0 1 श्री अंकित कुमार जैन व अप्रार्थी सं0 2 श्री मनोज अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल अग्रवाल के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 1 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पाँच हजार रूपये) व अप्रार्थी सं0 2 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.08.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी